

### ऑफिस का किराया अनुबंध पत्र

नाम ऑफिस मालिक/प्रथम पक्षकार: MR. .... S/o MR. ...., ADDRESS:-  
.....

नाम किरायेदार/द्वितीय पक्षकार: M/S ..... (Company Name),  
DESIGNATION: ..... MR.  
..... S/O MR. ....,  
ADDRESS:- ..... (Signatory  
Address)

किरायाधीन संसितका विवरण: यह है कि एक ऑफिस जो कि (OFFICE ADDRESS)  
..... में स्थित है, जिसे ऑफिस कार्य  
हेतु किराये पर दिया है।

मासिक किराया: रुपये ...../- प्रतिमाह

एडवांस: निल

अवधि: 11 माह

#### अन्य विवरण:-

ऐसा जो कि यह किरायेदारी का अनुबंध पत्र दोनो पक्षकारों के मध्य आज दिनांक को निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जा रहा है:-

1. यह कि एक ऑफिस जो कि (OFFICE ADDRESS) ..... में स्थित है, जिसे ऑफिस कार्य हेतु किराये पर दिया है एवं उक्त मकान द्वितीय पक्षकार ने रुपये ...../- प्रतिमाह किराये पर लिया है।
2. यह कि उक्त किरायेधीन सम्पत्ति में किराये के अलावा किरायेधीन सम्पत्ति में प्रयुक्त होने वाली बिजली बिल किरायेदार द्वारा अलग से भुगतान किया जावेगा तथा किरायेदार द्वारा किरायेधीन सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का न तो कोई उप किरायेदार रखेगा और न ही भागीदार रखेगा

यदि किरायेदार द्वारा अतिरिक्त बिजली कनेक्शन लोड के लिये अतिरिक्त भार प्राप्त किया जाता है, तो उसका समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जावेगा।

3. यह कि किरायेदार द्वारा माह कि ०१ तारीख से १० तारीख तक उक्त किरायाधीन संपत्ति का प्रतिमाह अग्रिम किराया मकान मालिक को दिया जावेगा।
4. यह कि उक्त किरायाधीन भाग में ऑफिस कार्य के अलावा अन्य कोई विस्फोटक सामग्री या अन्य कोई भी गौर कानूनी कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किरायाधीन संपत्ति में कोई अनैतिक गतिविधिया की जावेगी।
5. यह है कि उक्त किरायेधीन सम्पत्ति को रहन रखकर द्वितीय पक्षकार किसी भी प्रकार का ऋण नहीं ले सकता है, किरायेदार चाहे तो अपने नाम पर टेलीफोन कनेक्शन ले सकता है।
6. यह कि उक्त किरायेधीन संपत्ति दोनों पक्षकारों के मध्य किरायेदार दिनांक (Rent Start Date) ...../...../2019 से प्रारंभ होकर आगामी ११ माह तक वैध रहेगा एवं आपसी सहमती होने पर ही निष्पादित किया जा सकेगा।
7. यह कि उक्त किरायाधीन संपत्ति में जिसकी साफ-सफाई रख-रखाव आदि कि जिम्मेदारी किरायेदार कि होगी इसमें ऑफिस मालिक कि कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
8. यह कि किरायेदार सम्पत्ति में किसी भी प्रकार कि टूट-फुट कि समस्त जिम्मेदारी किरायेदार की होगी। किरायेदार द्वारा ऑफिस मालिक की बिना सहमति, अनुमति के उक्त किरायेधीन भवन में कोई भी निर्माण कार्य, तोड़-फोड़ या मरम्मत का कार्य नहीं किया जावेगा।
9. यह कि उक्त किरायाधीन संपत्ति की ऑफिस मालिक को जब भी खाली करवाने की आवश्यकता होगी वह किरायेदार को एक माह पूर्व का नोटिस देगा और इसी प्रकार किरायेदार को उक्त किरायाधीन भाग को जब भी खालीकरना होगा वह ऑफिस मालिक को एक माह पहले नोटिस देगा और उक्त किरायाधीन संपत्ति भाग का रिक्त आधिपत्य ऑफिस मालिक को सौंपेगा।
10. यह कि किरायेदार और ऑफिस मालिक के बीच किसी भी प्रकार के वाद-विवाद होने की (इस्थत) में न्याय क्षेत्र जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल (म.प्र.) रहेगा।
11. यह कि ऑफिस मालिक द्वारा किरायेदार (द्वितीय पक्षकार) का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जावेगा।
12. यह कि उक्त ऑफिस में मीटर लगा हुआ है एवं विधुत कंपनी द्वारा किसी भी कार्यवाही के लिये किरायेदार ही जिम्मेदार रहेंगे ऑफिस मालिक का कोई वास्ता नहीं रहेगा।
13. यह कि दोनों पक्षकार अनुबंध की शर्तों का पालन करेंगे।

अतः आज दिनांक (Agreement signing date) ...../...../2019 को भोपाल में यह किरायानामा दो गवाहों के समक्ष पढ़, सुन समझकर हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया गया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर कम आवे।

**प्रथम गवाह**

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार/ऑफिस मालिक

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पता:-

**द्वितीय गवाह**

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार/किरायेदार

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पता:-